बिहार विधान सभा में प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का सम्बोधन

राज्य सभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी,

बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी,

बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी,

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी,

माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती रेनू देवी जी,

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी,

राज्य सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी,

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी,

लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी,

गणमान्य अतिथिगण

देवियो और सज्जनो!

बिहार विधान सभा के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय विधायी परिषद् की पहली बैठक दिनांक 7 फरवरी, 1921 को इसी ऐतिहासिक भवन में हुई थी।

बिहार विधान सभा का यह ऐतिहासिक भवन इस बात का साक्षी रहा है कि किस प्रकार पिछले कई दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा में हमारा लोकतंत्र और सशक्त एवं मजबूत हुआ है।

शताब्दी वर्ष समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार विधान सभा डिजिटल टी.वी. तथा विधान सभा पत्रिका के प्रकाशन के शुभारंभ की भी मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज से विधान मंडल के माननीय सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ।

विधान सभा के सदस्य के रूप में राज्य की जनता ने आपको बहुत अपेक्षाओं-आकांक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि आप जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे; उनकी अपेक्षाओं-

आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करेंगे और राज्य की जनता के व्यापक कल्याण के लिए काम करेंगे।

साथियों, बिहार की पावन भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रही है। यहाँ से आरम्भ हुआ लोकतंत्र आज हमारी सोच, जीवन और कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। लोकतंत्र हमारे संस्कार में है, हमारा जीवन मूल्य है। विभिन्न कालखंडों में चाहे कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, लेकिन हमारी आत्मा लोकतंत्र की ही रही है।

साथियो, बिहार लोकतंत्र की ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, ज्ञान, अध्यात्म और चेतना की भी पुण्यभूमि है। भगवान बुद्ध का शांति, अहिंसा और प्रेम का शाश्वत संदेश बोधगया से ही संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ। भगवान महावीर का संदेश आज भी विश्व भर में लोगों को जीवन जीने की राह दिखाता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

यदि मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। कला, संस्कृति, अध्यात्म और साहित्य की उत्कृष्टता तथा यहां की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता और बहुलता इस राज्य को अतुलनीय बनाती है।

बिहार प्रांत के लोग आज अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में हैं। यहाँ के प्रतिभावान बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। इसलिए मैं यहाँ के बच्चों की प्रतिभा और योग्यता से भली-भाँति परिचित हूँ।

साथियो, चंपारण में बिहार की धरती पर ही महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के नए प्रयोग किए थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने समस्त देशवासियों को 'सादा जीवन, उच्च विचार' की प्रेरणा दी थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के विचारों ने बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता को प्रभावित किया।

साथियो, स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमने संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त किया है, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

आज जब हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में हमें पुनः चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस प्रकार जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाए।

संसद एवं विधान मंडलों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें तथा उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को विधान मंडलों के माध्यम से पूर्ण कर सकें।

सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के आचरण से ही सदन की गरिमा और मर्यादा बनती है। हम सदन की जितनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखेंगे, इसे जितना अधिक चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएंगे, उतने ही इसके सुपरिणाम आएंगे। हम कार्यपालिका को उतना ही अधिक जवाबदेह बना पाएंगे और सरकार में पारदर्शिता ला सकेंगे।

लोकतान्त्रिक संस्थाओं के अंदर नीतियों, कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण में जनता की जितनी अधिक सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही अधिक हम लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, उनकी भावनाओं के अनुसार कार्य कर पाएंगे।

इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम विधान मंडलों के अंदर हर विषय पर, हर मुद्दे पर चर्चा करें, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा–संवाद हो, और इस सामूहिक विचार-विमर्श के बाद सामूहिकता से जो निर्णय हो, सरकार भी सकारात्मक रूप से उसी दिशा में कार्य करे कि अपेक्षित परिणाम आ सके।

साथियों, सदन की घटती गरिमा, चर्चा-संवाद में कमी, नीति निर्माण में विचार विमर्श की कमी होना और जन भागीदारी में कमी होना गंभीर चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए हम सबको मिलकर सामूहिकता से चिंतन करने की आवश्यकता है।

हमारे यहाँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था है। सरकारें आती-जाती रहती हैं। चाहे कोई भी दल सत्ता में रहे, हर दल को सकारात्मक दिशा में काम करते हुए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त व मजबूत बनाने में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, ताकि हम आदर्श संस्थाएं खड़ी कर सकें।

साथियों, लोकतंत्र वाद-विवाद और संवाद पर आधारित पद्धति है। सदन वाद-विवाद और संवाद के लिए ही होता है। पक्ष विपक्ष में मतभेद होना, सहमति-असहमति होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में यह जरूरी भी है। परंतु विरोध के बावजूद गतिरोध नहीं होना चाहिए। और नियोजित गतिरोध तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। हमें व्यवधान का नहीं, समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए।

पिछले वर्ष शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने लोकतान्त्रिक संस्थाओं को और प्रभावी एवं सशक्त बनाने के विषय पर व्यापक चर्चा की थी। सम्मेलन में यह संकल्प भी पारित किया गया था कि देश के सभी विधान मण्डल अपने कार्य संचालन नियम एवं प्रक्रियाओं में वांछित संशोधन करें ताकि हमारे सदनों में अनुशासन और शालीनता आए।

हमें इस संकल्प के साथ काम करना चाहिए कि अगले 25 वर्षों में जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब हम अपने विधान मंडलों को सार्थक चर्चा और संवाद का एक ऐसा केन्द्र बना सकें, जहां चर्चा-संवाद और विचार-मंथन से निकलने वाले अमृत से जनता का कल्याण हो और हमारे ये विधान मण्डल विश्व के अन्य देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आदर्श बनें। इसके लिए हमें सामूहिकता के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

साथियो, बिहार की वर्तमान विधान सभा में लगभग 42 प्रतिशत सदस्य पहली बार चुन कर आए हैं। इसलिए यह प्रबोधन कार्यक्रम आपके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

आप निश्चित रूप से हमारे संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पाएंगे तथा एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का उत्तम निर्वहन कर पाएंगे। अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होना बड़े सम्मान और गर्व की बात है।

आपका प्राथमिक उद्देश्य जनता की मूलभूत समस्याओं, उनकी आशाओं-आकांक्षाओं को सदन के सामने रखना और उनका समाधान निकालना है।

विधायक के रूप में आप दोहरी भूमिका में होते हैं। जहां एक तरफ आप जनता और विधायिका के बीच, वहीं दूसरी तरफ, विधायिका और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं।

जनप्रतिनिधि के रूप में आपको सार्वजनिक और निजी जीवन में आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। आप एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था हैं। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, जो इस सदन की गरिमा को बढ़ाये, समाज को प्रेरित करे और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

पहली बार चुने गए सदस्यों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप विभिन्न संसदीय साधनों से अवगत हों। साथ ही, आपको कार्यसंचालन के संबंध में सभा के नियम, प्रक्रिया और परंपराओं की गहन जानकारी भी होनी चाहिए।

इसमें प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार से प्रश्न पूछना विधायकों का लोकतान्त्रिक अधिकार है।

साथ ही, आपके लिए अल्पकालिक चर्चा, शून्य काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे कई प्रक्रियागत साधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप विभिन्न मुद्दों को सदन में उठा सकते हैं।

संसदीय समितियाँ भी कार्यपालिका की जवाबदेही तथा उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समितियों में हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करते हैं। यह हमारी संसदीय प्रणाली की परिपक्वता को दर्शाता है।

माननीय सदस्यो, आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस बदलते परिदृश्य में यह आवश्यक है कि हम सूचना और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करें, जिसके माध्यम से विधायकों का क्षमता संवर्धन हो सके और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो।

मुझे खुशी है कि आपने भी आज डिजिटल टेलीविजन शुरू किया है। भारतीय संसद ने भी हाल ही में अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन 'डिजिटल संसद' आरंभ किया है।

हमारा उद्देश्य है कि एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल बने, जिस पर केन्द्र और राज्य के विधान मंडलों की कार्यवाहियां, संसदीय समितियों की रिपोर्ट, वहां की लाइब्रेरी की सामग्रियों को साझा किया जाए, ताकि देश की जनता एक ही प्लेटफार्म पर सभी विधान मंडलों की जानकारी प्राप्त कर सके। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है।

हमारा प्रयास है कि देश के सभी विधान मंडलों की नियम-प्रक्रियाओं में समरूपता हो। इसके लिए हमें अपने-अपने विधान मंडलों की नियम-प्रक्रियाओं में समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

हमारा यह भी प्रयास है कि देश के सभी विधान मंडलों द्वारा अपने-अपने अनुभवों और विचारों को परस्पर साझा किया जाए, ताकि आपसी बेस्ट प्रैक्टिसेज, इनोवेशन्स और परंपराओं को अपनाकर हमारे विधान मंडल उत्कृष्ट बन सकें।

इस प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान, आप सभी को अनुभवी सांसदों और संसदीय पदाधिकारियों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि ये सत्र और संवाद आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

साथियो, हम सब देश-प्रदेश के विकास के लिए एवं राज्य की जनता की खुशहाली के लिए सदन में आए हैं। बिहार राज्य की विधायिका के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर हम सामूहिक संकल्प लें कि अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों का सम्यक् निर्वहन करते हुए इस प्रदेश और देश के लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे और राज्य के विकास के लिए निष्ठा एवं समर्पण के भाव से कार्य करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सभी के प्रयासों के माध्यम से एक विकसित और समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।